



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी०एस०आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285595 ई-मेल: ro.raipur.ibm@gmail.com

उल्लंघन पत्र
रजि.ए.डी.

No- CHG/SRG/BX- /RPR

दिनांक - 19/12/2018

प्रेषित प्रबंधक संचालक
सर्वश्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
(छत्तीसगढ़ भासन का एक उपक्रम)
सोना खान भवन, रिंग रोड नं. - 01,
ग्राम - पुरेना, पोस्ट - रविग्राम, रायपुर,
छत्तीसगढ़ 492 006

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित आपकी बिसेरपानी बॉक्साइट खान (Biserpani Bauxite Mine) 9.106 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-
महोदय,
आपकी उपरोक्त खान के कार्यालय रिकॉर्ड की दिनांक 15/10/2018 को जांच करने पर पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. <i>Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan, modified or review of Mining Plan.</i> <i>Your last approved Modified Mining Plan Letter no. SRG/BX/MPNL-940/NGP, dated 20.10.2008 and was expired.</i>

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11,2द्व के अंतर्गत
(क) खदान की सारी सक्रियाएं बन्द की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैंतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर के दास)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि:-

- 1 खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

